रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 81] दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 29, 2016/वैशाख 9, 1938 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 27]
No. 81] DELHI, FRIDAY, APRIL 29, 2016/VAISAKHA 9, 1938 [N.C.T.D. No. 27]

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शहरी विकास विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 29 अप्रैल, 2016

सं. फा. 16(513)/श.वि./डब्ल्यू/2015/669.––दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 (1998 का दिल्ली अधिनियम संख्या 4) की धारा 7 तथा 51 के साथ पठित धारा 109 की उपधारा (2) के खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा सक्षम प्राधिकारी की दिनांक 26.2.2015 के आदेशों के अनुसार अनुमोदित तथा दिनांक 03.06.2015 के पत्र सं. 3/24(13)/2015–आरआर के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दी गई सहमति से तथा दिनांक 22.01.1981 की अधिसूचना संख्या फा0 09/42/80–एलएसजी/588 द्वारा अधिसूचित **ड्राफ्समैन ग्रेड–1** भर्ती तथा पदोन्नति विनियमों के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई बातें या हटाई जाने वाली बातों को छोड़कर दिल्ली जल बोर्ड में **ड्राफ्समैन ग्रेड–1** के पद की भर्ती पद्धति संबंधी दिल्ली जल बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियम इसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ** :– (1) इन विनियमों को दिल्ली जल बोर्ड **ड्राफ्समैन ग्रेड–1** के पद की भर्ती तथा पदोन्नति विनियम, 2016 कहा जाये।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान** :– उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण, पे बैंड तथा ग्रेड पे तथा उसके साथ संलग्न वेतनमान इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, अन्य योग्यताएं** :– उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता** :– कोई भी व्यक्ति

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से, विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नी है; या

(ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह या विवाह का अनुबंध किया है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा :

शर्त यह है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्तियों और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये अन्य आधार है/हैं, तो किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

5. **छूट प्रदान करने की शक्ति :–** जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श पर किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन विनियमों के उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।

6. **बचाव :–** इन विनियमों में कोई भी बात इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य विशेष व्यक्तियों के वर्गों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

अनूसूची

1.	**पदनाम**	:	**ड्राफ्समैन ग्रेड–1**
2.	**पदों की संख्या**	:	49 (2015) इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	**वर्गीकरण**	:	श्रेणी ''ख''
4.	**पे बैंड एवं ग्रेड पे /वेतनमान**	:	वेतन समूह–2 में 9300–34800/–रुपये (ग्रेड पे 4600/–रुपये)
5.	**क्या चयन पद है या गैर चयन पद**	:	चयन
6.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा**	:	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों तथा दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय) । **नोटः–** आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि है तथा असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीज़न, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चंबा जिले की पांगी सब डिवीज़न व अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।
7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ**	:	**अनिवार्य :–** (क)(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से वास्तुकला अस्सिटेंटशिप में डिप्लोमा (2) योग्यता प्राप्त करने के पश्चात् ड्राइंग तैयार करने का दो वर्ष का अनुभव। मानचित्र मूल्यांकन तथा ऑटोकेड में, अथवा (ख)(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से दसवीं कक्षा उत्तीर्ण। (2) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से ड्राफ्समैंनशिप में डिप्लोमा उत्तीर्ण। (3) ड्राइंग तैयार करने का योग्यतात्तर तीन वर्ष का अनुभव। मानचित्र मूल्यांकन तथा ऑटोकेड में, अथवा **टीप–1** : अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में लिखित में कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए योग्यताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय हैं। **टीप–2 :** यदि चयन की किसी अवस्था में सक्षम प्राधिकारी के अभिमत से अनुसूचित जाति/ जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय हैं।
8.	**क्या सीधी भर्ती के लिये अपेक्षित आयु एवं शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में भी लागू होगी**	:	लागू नहीं
9.	**परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	:	सीधी भर्ती के लिये दो वर्ष
10.	**भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या विलयन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत**	:	61.22 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर अल्पकालिक संविदा सहित प्रतिनियुक्ति द्वारा, 38.78 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा
11.	**यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन किया जाना है**	:	**पदोन्नतिः–** दिल्ली जल बोर्ड प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित क्षेत्र में एक सप्ताह का प्रशिक्षण पूरा करने वाले तथा ग्रेड में पाँच वर्ष की नियमित सेवा सहित 4200/–रुपये ग्रेड पे सहित 9300–34800/– रुपये, पे बैंड–2 में

			ड्राफ्समैंन ग्रेड–2। **टीप 1:–** जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से न्यून या दो वर्ष से कम न हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने (कनिष्ठ अधिकारी) उतनी अर्हक/पात्रता पहले ही पूरी कर ली है। **टीप 2:**– पदोन्नति के लिये न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिये 01.01.2006 से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा जिस तिथि से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित संशोधित वेतन संरचना लागू की गई है। यह तिथि वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित लागू सम्बद्ध ग्रेड पे/वेतनमान में की गई सेवा मान ली जाएगी। **<u>प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)</u>** केन्द्रीय/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ विश्वविद्यालय /मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान/ अर्धसरकारी/ सांवधिक संगठन/ स्वायत्त संगठन/ या अन्य सार्वजनिक संस्थानों के निम्नलिखित अधिकारी:– (क) (1) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा (2) मूल संवर्ग/विभाग में पे बैंड–2 में 9300–34,800रू0, ग्रेड पे 4200/–रुपये सहित नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में पाँच वर्ष की सेवा सहित (ख) कॉलम 7 के अन्तर्गत सीधी भर्ती के लिये निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव रखने वाले:– **टीप 1:** भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी श्रृखंला में हैं वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। (केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि भी सम्मिलित है। यह सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी।) **टीपः** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिये 01.01.2006 (जिस तिथि से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित संशोधित वेतन संरचना लागू की गई है) से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा यह तिथि वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित लागू सम्बद्ध ग्रेड पे वेतनमान में की गई सेवा मान ली जाएगी। जहां पर पूर्व संशोधित एक से अधिक वेतनमानों का विलय साझे ग्रेड/वेतनमान सहित एक ग्रेड में किया जा चुका है, और जहां ये लाभ उस/उन पद/पदों के लिये ही विस्तारित हैं जिसके लिये यह ग्रेड पे/वेतनमान किसी प्रकार के अपग्रेडशन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन (रिप्लेसमेंट) ग्रेड है।
12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?**	:	''ख'' वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचारार्थ) 1. सदस्य (प्रशासन) – अध्यक्ष

			2. निदेशक (ए एण्ड पी) – सदस्य 3. मुख्य अभियन्ता (सिविल) – सदस्य "ख" वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायीकरण पर विचारार्थ) 1. सदस्य (प्रशासन) – अध्यक्ष 2. निदेशक (ए एण्ड पी) – सदस्य 3. मुख्य अभियन्ता (सिविल) – सदस्य
13.	**वे परिस्थितियॉं जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**	:	अधिकारी की प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATIONS

Delhi, the 29th April, 2016

No. 16(513)/UD/W/2015/669.—The following Recruitment Regulations made by the Delhi Water Board under clause (m) sub-section (2) of section 109 read with sections 7 and 51 of the Delhi Water Board Act, 1998 (Delhi Act No. 4 of 1998) approved vide Competent Authority orders dated 26.02.2015 and concurred by the Union Public Service Commission vide letter F. No. 3/24(13)/2015-RR dated 03.06.2015 and in supersession of the Draftsman Grade I recruitment and promotion Regulations notified vide notification No. F 9/42/80-LSG-588 dated 22.01.1981, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the regulations for the recruitment to the post of Draftsman Grade I in the Delhi Water Board, Delhi are hereby published as following, namely:-

1. **Short title and commencement -** These regulations may be called the Draftsman Grade I in Delhi Jal Board Recruitment and promotion Regulation, 2016.

2. **Number of posts, classification and scale of pay -** The number of posts, their classification and pay Band and Grade Pay/ scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these regulations.

3. **Method of recruitment, age limit and other qualifications -** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts, shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. **Disqualification:** - No person, –

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

Shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any persons from the operation for this regulation.

5. Power to Relax - Where the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving - Nothing in these Regulations shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	No. of Post	Classification	Pay Band & Grade Pay/Pay Scale	Whether selection or non-Selection post	Age limit for direct recruits.	Educational & other qualification required for direct recruits.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Draftsman Grade-I	49*(2015) Subject to variation	Category 'B'	PB-2 Rs. 9300-34800(Grade	Selection	Not exceeding 30 years (Relaxable for government servants	**Essential:** (A)(i) Diploma in Architectural

	dependent on workload		Pay Rs. 4600)		and employees of the Delhi Jal Board upto 5 years in accordance with the instructions or order issued by the Central Government.). **Note :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pardesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladhakh Division of J&K State Lahaul & Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pardesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep).	Assistantship from a recognised university/institute; AND (ii) Two (2) years' post -qualification experience of preparation of drawing. Maps estimates and in Autocad. OR. B. (i) 10th pass from a recognized School/Board. (ii) Passed diploma in Draftsmanship from a recognized Board/Institution; (iii) Three (3) years' post-qualification experience in preparation of drawing. Maps estimates and in autocad. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in witting, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to scheduled castes or scheduled tribes if at any stage of selection the competent authority, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any.	Method of recruitment : whether by direct recruitment, or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.
8.	8.	10	11.
No	2 years for direct recruits.	61.22% by promotion failing which by deputation including short-term contract, 38.78% by direct recruitment.	**<u>Promotion:-</u>** Draftsman Grade-II in PB-2 Rs. 9300-34800/- with Grade Pay of Rs. 4200/- with 5 years regular service in the grade and have undergone one weeks training in related field from Delhi Jal Board Training Institute. **<u>Note 1 :-</u>** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service , or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their junior who have already completed such qualifying/eligibility service. **Note 2:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006/ the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the pay commission. **<u>Deputation (Including Short Term Contact):-</u>** Officers under Central/State Governments /UT Administrations/ PSUS/Universities/ recognised Research Institutions/ Semi Government or Autonomous Bodies or Statutory Organzations A)(i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/ department; OR (ii) With five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in PB-2 Rs. 9300-34800/- with Grade pay of Rs. 4200/- or equivalent in the parent cadre or department; AND

			(B) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7. **Note1:** The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation (ISTC) including period of deputation (ISTC) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.) **Note 2:** For the purpose of appointment on deputation basis, The service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006/ the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any ungradation.

If a DPC exists, what is its Composition.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment..
12.	13.
Category 'B' Departmental Promotion Committee (For considering promotion) 1. Member (Admn.)—Chairman 2. Director(A&P)—Member 3. Chief .Engg. (Civil)-Member Category 'B' Departmental Confirmation Committee (For considering confirmation): Member (Admn) —Chairman Director (A&P)— Member Chief Engg. (Civil)—Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation (ISTC).

सं. फा. 16(516)/श.वि./डब्ल्यू /2015/670.—दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 (1998 का दिल्ली अधिनियम संख्या 4) की धारा 7 तथा 51 के साथ पठित धारा 109 की उपधारा (2) के खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा सक्षम प्राधिकारी की दिनांक 12.2.2015 के आदेशों के अनुसार अनुमोदित तथा दिनांक 08.05.2015 के पत्र सं0 3/24(5)/2015—आरआर के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दी गई सहमति से तथा दिनांक 18.02.1985 की अधिसूचना संख्या फा0 09/24/84—एलएसजी/1467 द्वारा अधिसूचित **जीवाणु वैज्ञानिक** भर्ती तथा पदोन्नति विनियमों के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई बातें या हटाई जाने वाली बातों को छोड़कर दिल्ली जल बोर्ड में **जीवाणु वैज्ञानिक** के पद की भर्ती पद्धति संबंधी दिल्ली जल बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियम इसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ** :— (1) इन विनियमों को दिल्ली जल बोर्ड **जीवाणु वैज्ञानिक** के पद की भर्ती तथा पदोन्नति विनियम, 2016 कहा जाये।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, पे बैंड तथा ग्रेड पे/वेतनमान** :— उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण, पे बैंड तथा ग्रेड पे तथा उसके साथ संलग्न वेतनमान इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, अन्य योग्यताएं** :— उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता** :— कोई भी व्यक्ति

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से, विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नी है; या

(ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह या विवाह का अनुबंध किया है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा :

शर्त यह है कि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्तियों और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत्त है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये अन्य आधार है/हैं, तो किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

5. **छूट प्रदान करने की शक्ति :—** जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श पर किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन विनियमों के उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।

6. **बचाव :—** इन विनियमों में कोई भी बात इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय—समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य विशेष व्यक्तियों के वर्गों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

अनुसूची

1.	**पदनाम**	:	**जीवाणु वैज्ञानिक**
2.	**पदों की संख्या**	:	08 (2015) इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	**वर्गीकरण**	:	श्रेणी "ख"
4.	**पे बैंड एवं ग्रेड पे/वेतनमान**	:	वेतन समूह—2 में 9300—34800/—रुपये (ग्रेड पे 4800/—रुपये)
5.	**क्या चयन पद है या गैर चयन पद**	:	चयन
6.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा**	:	30 वर्ष से अधिक नहीं **नोट 1:—** केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय । **नोट 2:—** आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि है तथा असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीज़न, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चंबा जिले की पांगी सब डिवीज़न व अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षदीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।
7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ**	:	**अनिवार्य :—** (क)(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से रसायन/जीव रसायन/सूक्ष्म जीव विज्ञान/ जीवाणु विज्ञान/जीव प्रौद्योगिकी/ प्राणी विज्ञान में मास्टर डिग्री तथा (2) जल के जीवाणु विज्ञान परीक्षा में दो वर्ष का अनुभव, अथवा (ख)(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से रसायन/जीव रसायन/सूक्ष्म जीव विज्ञान/ जीवाणु विज्ञान/जीव प्रौद्योगिकी में डिग्री तथा (2) जल के जीवाणु विज्ञान परीक्षण में चार वर्ष का अनुभव, अथवा

			टीप–1 अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है। **टीप–2** यदि चयन की किसी अवस्था में सक्षम प्राधिकारी के अभिमत से अनुसूचित जाति/ जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है।
8.	**क्या सीधी भर्ती के लिये अपेक्षित आयु एवं शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में भी लागू होगी।**	:	नहीं
9.	**परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	:	सीधी भर्ती के लिये दो वर्ष
10.	**भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या विलयन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत**	:	75 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर 25 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा
11.	**यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन किया जाना है**	:	**पदोन्नतिः–** दिल्ली जल बोर्ड प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित क्षेत्र में एक सप्ताह का प्रशिक्षण पूरा करने वाले तथा ग्रेड में दो वर्ष की नियमित सेवा सहित 4600/–रुपये ग्रेड पे सहित 9300–34800/– रुपये, पे बैंड–2 में सहायक जीवाणु वैज्ञानिक। **टीप 1:–** जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्तें कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से न्यून या दो वर्ष से कम न हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने (कनिष्ठ अधिकारी) उतनी अर्हक/पात्रता पहले ही पूरी कर ली है। **टीपः–** पदोन्नति के लिये न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिये 01.01.2006 से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा जिस तिथि से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित संशोधित वेतन संरचना लागू की गई है। यह तिथि वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित लागू सम्बद्ध ग्रेड पे/वेतनमान में की गई सेवा मान ली जाएगी।
12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?**	:	"ख" वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचारार्थ) 1. सदस्य (प्रशासन) – अध्यक्ष 2. निदेशक (ए एण्ड पी) – सदस्य 3. निदेशक शोधन गुणवत्ता एवं नियंत्रण – सदस्य "ख" वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायीकरण पर विचारार्थ) 1. सदस्य (प्रशासन) – अध्यक्ष 2. निदेशक (ए एण्ड पी) – सदस्य 3. निदेशक शोधन गुणवत्ता एवं नियंत्रण, दिल्ली जल बोर्ड – सदस्य
13.	**वे परिस्थितियॉ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**	:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के आदेश से
तथा उनके नाम पर,

आर. सी. केसरवानी, सहायक निदेशक (जल)

No. 16(516)/UD/W/2015/670.—The following Recruitment Regulations made by the Delhi Water Board under clause(m) sub-section (2) of section 109 read with sections 7 and 51 of the Delhi Water Board Act, 1998 (Delhi Act, No. 4 of 1998) as approved vide Competent Authority orders dated the 12.02.2015 and concurred by the Union Public Service Commission vide letter F. No. 3/24(5)/2015-RR dated 08.05.2015 and in supersession of the Bacteriologist recruitment and promotion regulations notified vide notification No. F9/24/84-LSG/1467 dated 18.02.1985, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the regulations for the recruitment to the post of Bacteriologist in the Delhi Water Board, Delhi are hereby published, as following namely:-

1. **Short title and commencement —** These Regulations may be called the Bacteriologist in Delhi Jal Board Recruitment and promotion Regulation, 2016.

2. **Number of posts, Classification and pay band and grade pay/scale of pay —** The number of posts, their classification and pay Band and Grade Pay/ scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these regulations.

3. **Method of recruitment, age limit and other qualifications -**The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts, shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. **Disqualifications** - No person, –

(a) Who has into entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that Government of may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

5. Power to relax - Where the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving - Nothing in these regulations shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	No. of Post	Classification	Pay Band & Grade Pay/Pay Scale	Whether selection or non-Selection post	Age limit for direct Recruits.	Educational & other qualification Required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
Bacteriologist	8(2015) Subject to variation dependent on workload.	Category 'B'	PB-2 Rs. 9300-34,800 (Grade pay Rs. 4800/-)	Selection.	Not exceeding 30 years **Note1:** (Relaxable for Govt. Servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note 2:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pardesh, Mizoram, Manipur,	**Essential :-** (A)(i) Master's Degree in Bio-chemistry / Microbiology / Bacteriology / Bio Technology/ Zoology from a recognized University/Institute; And (ii) 2 years' experience in Bacteriological examination of water OR (B) (i) Degree in Science with Chemistry/ Bio-Chemistry/Biology/ Microbiology/ Bacteriology/Bio Technology of a recognized

					Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladhakh Division of J&K State Lahaul & Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pardesh,Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep).	University/Institute; And (ii) 4 years' experience in Bacteriological examination of water. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority for reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualifications(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to scheduled castes or scheduled tribes if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment, or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.
8.	9.	10.	11.
No.	2 years for direct recruit.	75% by promotion failing which by direct recruitment. 25% by direct recruitment.	**Promotion :** Assistant Bacteriologist in Pay Band -2 Rs. 9300-34,800 with Grade pay of Rs. 4600/- with 2 years regular service and has undergone one week training in the related field from Delhi Jal Board Training Institute. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they

			are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service , or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. **Note2:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006, the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the pay commission.

If a DPC exists, what is its Composition.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making Recruitment.
11.	12.
<u>Category 'B' DPC(for considering promotion)</u> 1) Member (Admn.) —Chairman 2. Director (A&P) — Member 3. Director (Treatment & Quality Control — Member **<u>Category 'B'</u>** **<u>Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation)</u>** 1) Member (Admn.) — Chairman 2. Director(A&P) — Member 3. Director (Treatment & Quality Control — Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

By Order and in the Name of Government of
National Capital Territory of Delhi,

R. C. KESARWANI, Asstt. Director (Water)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2016.12.08 12:34:25 +05'30'